राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : समसा/जय/शाला दर्शन/2018–19 / 3000 दिनांक : 3/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय – शालादर्शन पोर्टल पर 6डी चयन पश्चात माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने एवं सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी लेवल–1 2018 की काउन्सलिंग के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषय अन्तर्गत लेख है किं 6डी चयन पश्चात माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित शिक्षकों की मैपिंग डीईओ लॉगिन से शाला दर्शन पोर्टल पर करवायी जा चुकी है। सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी लेवल–1 2018 के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) कलैंडर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2018 को जारी किया गया था। इस क्रम में 01.07.2018 को शाला दर्शन पार्टल पर जिले की लॉगिन पर काउंसलिंग के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार विद्यालयों में रिक्त पदों एवं वरीयता सूची को प्रकाशन किया जाना था। साथ ही विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार 05 व 06 जुलाई 2018 को काउंसलिंग कैम्पों(परामर्श शिविर) का आयोजन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 6डी चयन पश्चात माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित शिक्षकों (एकल शिक्षक को छोडकर) को पोर्टल से ऑनलाइन कार्यमुक्त करवाया जाना शत प्रतिशत सुनिश्चित करें। 6डी से माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित शिक्षकों को पोर्टल से ऑनलाइन कार्यमुक्त नही होने स्थिति में डीईओ लॉगिन से आपके जिले की रिक्तियों का प्रदर्शन नहीं हो सकेगा।

शाला दर्शन पोर्टल पर नवचयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के लिए रिक्तियों के चयन से पूर्व आपके जिले की रिलीविंग ज्वाइनिंग शत प्रतिशत पूर्ण होने की सुनिश्चितता करावें। साथ ही–

1. यदि किसी कार्मिक को गलत विद्यालय/पद/लेवल/विषय पर रिलीव कर दिया है तो संबंधित पीईईओ/बीईईओं से कार्मिक की रिलीविंग अपडेट करावें।
2. यदि किसी कार्मिक के ज्वाइनिंग के समय बजट हैड प्रदर्शित नहीं हो रहा हो तो उसकी रिलीविंग अपडेट करावें।
3. यदि कार्मिक को गलत रिलीव कर दिया अथवा कोई अन्य कारण के कारण रिलीविंग ज्वाइनिंग नही हो पा रही हो तो उसका प्रस्ताव बनाकर अविलम्ब शाला दर्शन प्रकोष्ठ को भिजवाये।
4. यदि कार्मिक के स्थानान्तरण से नवपदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है परन्तु नवपदस्थापित स्थान पर पद रिक्त नही होने की स्थिति में या अन्य कारण से स्थानान्तरण आदेश

www.rajteachers.com

प्रभावी नही होने की स्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव बनाकर अविलम्ब निदेशालय बीकानेर को भिजवाये।

www.rajteachers.com

(डॉ प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त (शाला दर्शन)

क्रमांकः–समसा/जय./शा.दर्शन/2018–19/3001 दिनांक :3/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. निदेशक, प्रा. शि, निदेशालय, बीकानेर।
5. समस्त बीईईओं।
6. समस्त पीईईओ।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त (शाला दर्शन)